



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129599

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19484/2026

पुष्पेन्द्र कुमार

... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता: देव प्रकाश शर्मा, प्रदीप कुमार पाण्डेय, प्रियंका देवी

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 41 सन् 2026, धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 111(3), 61(2), 308(6) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 66(सी), 66(डी) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, थाना- रेउना, जनपद- कानपुर नगर में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान वाद में मिथ्या रूप से अभियुक्त बनाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार 37 नामजद व्यक्तियों तथा कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कथित अपराध कारित किया गया है। आवेदक उन अभियुक्तों में से एक है तथा उसके विरुद्ध केवल सामान्य प्रकृति के आरोप लगाए गए हैं। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को पुलिस द्वारा अभिलिखित उसके कथित स्वीकारोक्ति कथन के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है, जो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त नीरज कुमार को इस न्यायालय की समन्वय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 19090 सन् 2026 में दिनांक 02.06.2026 को पारित आदेश द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है तथा वह दिनांक 08.04.2026 से कारागार में निरुद्ध है।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि वह इस तथ्य का खण्डन नहीं कर सके कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त, नीरज कुमार, को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान किया जा चुका है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

6. वाद के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त, नीरज कुमार, को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान किया जा चुका है और उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न तो निरस्त किया गया है और न ही उसके क्रियान्वयन पर स्थगनादेश पारित किया गया है, तथा आवेदक दिनांक 08.04.2026 से कारागार में निरुद्ध है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना उपयुक्त समझता हूँ।

7. जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. आवेदक पुष्पेन्द्र कुमार, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित है, को उसके द्वारा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत किए जाने पर जमानत पर रिहा किया जाए। साथ ही, रिहाई आदेश निर्गत किए जाने से पूर्व प्रतिभूओं का सत्यापन कर लिया जाए।

यह रिहाई निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

(i) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र प्रस्तुत करेगा कि जिस तिथि पर साक्ष्य के लिए वाद नियत हो और साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, उस तिथि पर वह किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं माँगेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने की दशा में विचारण न्यायालय को यह स्वतंत्रता होगी कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर, चाहे व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा। यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-क/भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के अन्तर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही कर सकेगा।

(iii) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और यदि आवेदक उक्त उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-क/भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर (1) वाद के शुरू करने, (2) आरोप विरचित किए जाने तथा (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत उसके कथन अभिलिखित किए जाने के समय व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय को यह स्वतंत्रता होगी कि वह ऐसी त्रुटि को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करे।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, वह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

19 जून 2026

कुमार मनीष

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।